बिहार सरकार

वित्त(अंकेक्षण) विभाग

तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 62/09–10

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय चेहरा कला (वैशाली)

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2005–06 रू0 2006–07

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम/पदनाम और कार्यालय :–

श्री उदय कुमार सिंह,अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय महुआ (वैशाली)

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियो का नाम/पदनाम एवं कार्यकाल :–

(1) श्री रजनीकान्त प्र0 वि0 पदाधिकारी दि0 20.12.04 से 28.4.05 तक

(2) श्री नजर हुसैन प्र0 वि0 पदाधिकारी दि0 29.4.05 से 16.2.06 तक

(3) श्री नवीन कुमार सिंह प्र0 वि0 पदाधिकारी दि0 17.2.06 से 01.5.07 तक

(4) श्री रामाशीष सहनी लेखा पाल सह प्र0 लि0 दि0 10.12.04 से 20.2.06 तक

(5) श्री अनिरूद्ध प्र0 सिंह लेखा पाल सह प्र0 लि0 दि0 21.02.06 से 31.3.07 तक

(6) श्री वसीम अहमदा फिरोज नाजिर दि0 02.8.02 से अद्‌यत्‌न

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम/पदनाम

(1) श्री निर्मल कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(2) श्री वसीन अहमद फिरोज, नाजीर

(3) श्री सुनील कुमार, सहायक

(छ) अंकेक्षकों / वरीय अंकेक्षको का नाम –

(1) श्री रामावतार राउत, व0 अ02 (दलनेता)

(2) श्री शलैश कुमार चौधरी, व0 अ02 (दलसदस्य)

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0 06.6.2008

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि दि0 31.12.2008

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 50 दिन (औसतन)

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत /अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उल्लेखित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

इस लेखा का अंकेक्षण विभागीय पत्रांक 3286 दि0 15.9.60 के निदेशानुसार सरकारी परिपत्रों एवं नियमो के आलोक मे परिशिष्ट 'अ' पर उल्लिखित प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया गया। कोषगार से प्राप्ति एवं जमा राशि का शत प्रतिशत सत्यापन जिला कोषगार अभिलेखो से किया एवं सही पाया। महालेखाकार (एवं वित्त अंकेक्षण) विभागीय पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के लिखीत माँग पर भी उपलब्ध नही कराई गई जिसके कारण किये गये आपत्ति का अनुपालन की समीक्षा एवं जाँच नही की गई।

(ड) वित्तीय समीक्षा :–

इस लेखा से सम्बन्धित आंवटन व्यय का व्यौरा परिशिष्ट 'आ' पर अंकित है जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि प्राप्त आंवटन के विरूद्ध व्यय के पश्चात् बचत राशि को यथा समय प्रत्यार्पित कर दी गई, किन्तु वेतन मद में प्राप्त आंवटन से वर्ष 2005–06 मे मकान भाड़ा भत्ता मद तथा जीवन यापन भत्ता मद में क्रमशः 1078=00 रू0 एवं 647=00 रूपये अधिक निकासी की गई थी। पुनः वर्ष 2006–07 में डीजल मद में प्राप्त अनुदान शीर्ष से 2245 आपदा प्रबन्धन को प्रखण्ड के लाभांवित कृषकों को भुगतान नही कर कोषागार से निकासी के पश्चात् वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनः कोषागार में जमा कर दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं मे जिला से प्राप्त राशि का व्यय तथा बचत राशि का शीर्षवार व्यौरा परिशिष्ट "आ (I) पर उल्लिखित है। अंकेक्षण में पायी गई कि नियंत्री पदाधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारी तथा तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा यथासमय उचित तथा आवश्यक कार्रवाई नही किये जाने के कारण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनात्तर्गत प्राप्त, खाधान्न मद में एक बडी राशि का दुर्विनियोग हुआ तथा विभिन्न योजनाओ में भू +एवं खनन सामाग्रीयों के क्रय राशि पर ली गई स्वाभित्व शुल्क तथा वैट की

कटौती अभिकर्त्ता के अन्तिम भुगतान से नही करने के कारण एक बड़ी सरकारी राशि की क्षति हुई साथ ही कुछ योजनाओं से कटौती की गई स्वामित्व शुक्ल तथा वैट की राशि को यथासमय कोषागार में जमा नही करने के कारण सरकार को राजस्व से वंचित रहना पड़ा। जिसका विस्तृत उल्लेख आगे की कंडिकाओ में किया गया है।

(i) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि दिनांक 06.6.2008 को सामान्य रोकड़ का संवरण शेष का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण के लिखित प्रयास के बाद भी नही कराया गया।

(ii) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि के सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 का प्रारभ्भ तथा अन्तिम शेष का व्यौरा निम्नांकित पाया गया।

(क) दिनांक 01.4.2005 का रोकड़ का प्रारभ्भण शेष 92,28,777=86 रू0 का मदवार व्यौरा :–

(1) बैकों मे जमा राशि – 81,00,625=82

(2) अस्थायी अग्रिम – 1,90,196=00

(3) असमायोजित अभिश्रव – 9,23,521=08

(4) सींगल लॉक (नगद हाथ में) – 14,434=96

कुल योग – 92,28,777=86 रूपये

(ख) दिनांक 31.3.2006 का संवरण शेष 1,98,83,445=96 रूपये का मदवार व्यौरा :–

(1) बैकों मे जमा राशि – 1,79,79,504=12

(2) अस्थायी अग्रिम – 7,38,676=00

(3) असमायोजित अभिश्रव – 10,13,029=61

(4) सींगल लॉकर (नगद हाथ में) – 1,52,236=23

कुल योग – 1,98,83,445=96 रूपये

(ग) दिनांक 31.3.2007 का रोकड़ पुस्त का संवरण शेष 1,94,43,543=69 रूपये का मदवार व्यौरा :–

(1) बैकों मे जमा राशि – 1,75,17,830=51

(2) अस्थायी अग्रिम – 6,62,696=00

(3) असमायोजित अभिश्रव — 11,91,970=06

(4) सींगल लॉकर (नगद हाथ में) — 71047=12

कुल योग्य — 1,94,43,543=69

(iii) अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत /कार्यरत/रिक्त बल का व्यौरा परिशिष्ट ''आ'' (ii) पर संलग्न किया गया है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंकेक्षणाधीन अवधि में स्वीकृत बल के विरूद्ध 11 विभिन्न पद रिक्त थे। जिसमे प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक (G.P.S) तथा पंचायत सचिव (P.S) तथा चालक जैसे महत्वपूर्ण पद पर क्रमशः एक, पाँच तथा एक रिक्त पाया गया जिसके कारण योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय में शुरू एवं पूर्ण नही हुई।

भाग —1

(2) रू0 17,89,406=60 मूल्य का बचे चावल का सम्भावित दुर्विनियोग :—

वर्ष 2005 —06 के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत केश रेकर्डस योजना पंजी, मापी पुस्त ,अग्रीम भुगतान रोकड़ पंजी तथा अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त अवधि में कुल 76 योजनाएँ शुरू की गई थी, जिसमे कार्यरत मजदुरों को मजदूरी के मद में 5 किलो प्रति कार्य दिवस के अनुसार 6.27 रूपये प्रतिकिलो की दर से आपूर्ति करने का निर्देश था। इसके लिए प्रखण्ड के पाँच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चयन कर 4057.50 किवंटल चावल उठाव का आंवटन किया गया था। जिसके विरूद्ध उन पाँच विक्रेताओ ने कुल 4057—45—800 किंवटल चावल का उठाव किया।

सभी ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओ को सु0 रो0 योजनाओं के अन्तर्गत अभिकर्त्ता के नाम चावल आपूर्ति करने हेतु परमीट निर्गत किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न योजनाओ से सम्बन्धित अभिकर्त्ता को 1203.54 किवंटल चावल की आपूर्ति की गई थी तथा अद्यतन सभी पाँच ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओ के पास 2853—91—800 चावल अवशेष रह गया। जिसका पूर्ण व्योरा परिशिष्ट ''इ'' पर अंकित किया गया है तथा समेकित रूप से निम्नांकित है :—

	ज0 वि0 प्रणाली विक्रेता का नाम पता	कुल उठाव	कुल आपूर्ति	अवशेष बची चावल
1	श्री चान्दिका राय चेहरा कला	775.00 किवंटल	398.15 किवंटल	376.05 किवंटल

2	श्री शिवजी राय करहरिया	475.00 किवंटल	191.67 किवंटल	283.33 किवंटल
3	श्री अविनाश कुमार मेसुरपुर हलिया	994—94—800 किवंटल	291.61 किवंटल	703—33—800 किवंटल
4	श्री उमेश प्रसाद वस्ती सरसीकन	779—42—000 किवंटल	285.05 किवंटल	494—37—000 किवंटल
5	श्री कृष्ण सिंह वस्ती सरसीकन	1033—09—000 किवंटल	37.06 किवंटल	996—03—000 किवंटल

4057—45—800 किंव0 1203—54.000 किवं0 2853—91—800 किंवटल

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट होता कि सभी पाँच ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओ के पास वर्ष 2006 से अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कुल आपूर्ति के विरूद्ध के बाद 2853—91—800 किवंटल चावल का भंडार बचा रहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 265/दिनांक20.03.2006 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3206 दिनांक 25.03.06 के द्वारा सभी उप विकास आयुक्तो को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योननान्तर्गत ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओ के पास भंडार मे बचे खाद्यान्न को बी0 पी0एल दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को हर स्थिति में दि0 30.6. 06 तक राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी योजना (नरेगा) में स्थान्तरित कर दिया जाय अथवा अवशेष खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर कुल खाद्यान्न नरेगा के अन्तर्गत भंडार लेखा का संधारण कर योजनान्तर्ग कार्यरत मजदूरो को बी0 पी0 एल0 पर मजदूरी के अंश के रूप में वितरण कर दिया जाय उप विकास आयुक्त वैशाली हाजीपुर ने उक्त पत्रों के आलोक में पत्रांक 217 दिनांक 19.02.07 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदा0 को स्पष्ट निदेश था कि स0 ग्रा0 रोज0 योजना में बची चावल का भौतिक सत्यापन कराकर वस्तु स्थिति से अवगत कराये किन्तु स0 ग्रा0 रो0 योजना से सम्बद्ध संचिका 40—03/06 एवं 40—03/07 से अंकेक्षण को ज्ञात हुआ कि अंकेक्षण समाप्ती तक ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओ के पास भंडारित चावल का भौतिक सत्यापन नही हुआ था जो स्पष्ट रूप से सम्बधित कर्मचारियो एवं पदाधिकारी की कर्त्तव्य पालन तथा सरकारी दायित्व के निर्वाहन नही करना प्रमाणित होता है तथा इससे भंडार मे बचे चावल के दुर्विनियोग की सम्भावना बनती हैं। क्योकि चावल इतने दिनो तक रहने के कारण सड़—गल कर या घुन लगकर बर्वाद हो जाने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता।

अतः परिशिष्ट ''इ'' पर उल्लेखित पाँच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओ के भंडार मे बचे चावल 2853 किवंटल 91 किलोग्राम 800 ग्राम चावल की कीमत 627.

00 प्रति किवंटल की दर से कुल 17,89,406=60 रूपये का सम्भंवित दुर्विनियोग का मामला बनता है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाया गया।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों को आवश्यक निर्देश का पालन नही करने के कारण कुल 17,89,406=60 रूपये मूल्य के बचे चावल का आवश्यक जाँच पड़ताल अपने स्तर से करने हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा किये गये कार्रवाई से वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(3) वितरण के पश्चात् बचे रिक्सा/ठेला के उचित भंडारण नही करने के कारण 33250=00 रूपये सरकारी राशि की क्षति :–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम –I (पंचायत समिति) अन्तर्गत 22.5 प्रतिशत राशि से बी0 पी0 एल0 रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के लभार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु रिक्सा/ठेला का निःशुल्क वितरण से सम्बद्ध योजना स0 62/2005–06 की जाँच योजना पंजी,रोकड़पंजी एवं अन्य अभिलेखों से करने पर पाया गया कि मेसर्स विश्वकर्मा मशीनरी सेन्टर महुआ से 42 ठेला तथा 56 रिक्सा क्रमशः 5790=00 रूपये तथा 7940=00 रू0 प्रति की दर से कुल 6,87,820=00 रूपये (2,41080.00+444640=00) का भुगतान तीन किस्तो में तीन विभिन्न तिथियों मे चेक से निम्न प्रकार किया गया :–

चेक संख्या	0765887	दि0 26.02.06	– 1,00,000=00
चेक संख्या	0765893	दि0 18.04.06	– 2,98,000=00
चेक संख्या	0813763	दि0 23.05.06	– 2,89,820=00
		कुल योग	– 6,87,820=00

उक्त क्रय उप विकास आयुक्त वैशाली के पत्रांक 818/ दि0 24.02.06 तथा पत्रांक 819/दि0 24.02.06 एवं 37 मु0/दिनांक 25.02.06 के निदेशानुसार दी गई स्वीकृति आदेश पर की गई। तथ्य पश्यात् प्रखण्ड स्तर पर गठित क्रय समिति के बैठक मे प्राप्त तीन कोटेशन मे मेसर्स विश्वकर्मा स्टेशनरी सेन्टर महुआ का निम्नत्तर स्वीकृत कर प्र0 वि0 पदा0 ने अपने पत्रांक 4 कैम्प (महुआ) दि0 20.02.06 द्वारा 56 रिक्सा एवं 42 ठेला का आपूर्ति करने हेतु क्रर्यादेश दिया गया जिसमे सभी प्रकार के कर सम्मिलित था।

आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त रिक्सा/ठेला एन्वायस के आधार पर भंडार पंजी (रिक्सा/ठेला) के पृष्ट 26 पर दिनांक 20.06.06 को भंडार प्रविष्टी कर पूर्व का 2 अदद रिक्सा सहित कुल 58 रिक्सा एवं 42 ठेला की प्रविष्टी पाई गई। भंडार पंजी

भौल्यूम/5 के पृष्ट 26 पर प्रविष्टी करने के पश्चात पंचायत समिति के सदस्यों से उचित पहचान कराकर निम्नांकित तिथियों लभार्थियो को रिक्सा/ठेला का वितरण किया गया :–

भंडारण की तिथि	आपूर्त्ति कर्त्ता का नाम	रिक्सा / अदद	ठेला/ अदद	वितरण की तिथि	रिक्सा /अदद	ठेला/ अदद
16.02.06	प्रारम्भ अवशेष	02 अदद	–	20.04.06	50 अदद	38 अदद
17.04.06	मेसर्स विश्वकर्म मशीनरीज सेन्टर महुआ	56 अदद	42 अदद	15.08.06	6 अदद	01 अदद

कुल वितरण– 56 अदद – 42 अदद कुल वितरण– 56 अदद 39 –अदद

अवशेष रिक्सा/ठेला – 2 अदद– 03 अदद

इस प्रकार 20.04.06 एवं 15.08.06 का भंडार पंजी के भौल्यूम 1 एवं भौलूम 5 पर क्रमशः 50 अदद रिक्सा 38 अदद ठेला तथा 06 अदद रिक्सा 01 अदद ठेला को लभार्थियों के बीच वितरण के पश्चात् 2 अदद रिक्सा 03 अदद ठेला का वितरण लभार्थियों का नाम दोबारा अंकित होने (जिन्हे पूर्व में वर्ष 2004–05 में वितरण हो गया था) तथा कुछ लभार्थियों के लेने से इन्कार करने तथा अन्य के अनुपस्थिति रहने के कारण बचा रह गया। जिसे प्रखण्ड में भंडारण की सुविधा नही रहने के कारण थाना परिषर में खुले आकाश के नीचे भंडार स्वरूप छोड़ दिया गया जो अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक वर्षा धूप के कारण जर्जर होकर किसी कार्य का नही रहा। ज्ञातव्य हो कि भंडारण की उचित सुविधा नही रहने की स्थिति में बचे हुए रिक्सा/ठेला को पुनः आपूर्ति कर्त्ता को लौटा देना ही उचित एवं नियमानुकूल था। किन्तु सम्बद्ध कर्मचारी एवं पदाधिकारी की उपेक्षित रवैये तथा सरकारी कार्यहित की अनदेखी करने के कारण बचा हुआ 2 अदद रिक्सा तथा 3 अदद ठेला क्रमशः 7940=00 प्रति रिक्सा तथा 5790=00 रू0 प्रति ठेला की दर से 17,370=00 रू0 तथा 15,880=00 रू0 कुल 33,200=00 रूपये सरकारी राशि की क्षति हुई । निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोष प्रद नही पाया गया। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उक्त योजनान्तर्गत रिक्सा/ठेला के मद मे कुल 33,100=00 रूपये का क्षति की ओर आकृष्ट किया जाता है। क्षति पूर्त्ति के लिए उचित कार्यवाई से वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(4) विभिन्न प्रकार योजनाओ को रदद/स्थगित होने तथा कार्य मापी से अधिक अग्रिम के भुगतान कर देने के कारण अभिकर्त्ताओं से 2,29,032=00 रूपये वसूली योग्य :–

(क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले आनाज योजनाओं को वर्ष 2005–06 में आरम्भ /पूर्ण योजनाओ के केश रेकर्डस,मापी पुस्त एवं अन्य अभिलेखो की जाँच में पाया कि उक्त दोनो योजनाओ में सम्बधित आभिकत्ताओं को 45000=00 रू0 नगद तथा 39696=00 रू0 मूल्य का चावल की आपूर्ति की गई थी। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''ई''– I पर उल्लिखित है तथा सामेकित रूप से निम्नांकित है :–

योजना सं0/वर्ष स0 ग्रा0 रो0 योजना	अभिकर्त्ता का नाम/पदनाम	नगद अग्रिम	चावल का मूल्य	कुल भुगतान
21/2005–06	श्री अशोक कुमार मिश्र प0 सचिव	7500=00	5969=00	13,469=00
30/2005–06	श्री विश्वनाथ साह प0 सचिव	7500=00	17,907=00	25,407=00
31/2005–06	तदैव	7500=00	10,490=00	17,990=00
42/2005–06	श्री नन्दलाल राय	7500=00	5330=00	12,830=00
		30,000=00	39696=00	69696=00
काम के बदले आनाज योजना :–				
12/2005–06	श्री विश्वनाथ साह प0 सचिव	7500=00	–	7500=00
14/2005–06	राजबली दास प0 सचिव	7500=00	–	7500=00
	कुल –	45,000=00	39696=00	84696=00

उपयुक्त सभी योजनाएँ की गहन जाँच मे पाया कि कुछ योजनाएँ का कार्यस्थल विवादास्पद होने के कारण रद्द की गई तथा कुछ योजनाएँ लिपिकीय भूल वश दो बार कार्य योजना का चयन होने के कारण रद्द कर दी गई थी।

किन्तु उक्त योजनाओ के अभिकत्ताओं से अद्यतन नगद भुगतान की गई नगद राशि 45,000=00 रू0 तथा आपूर्ति चावल का मूल्य 39696=00 रूपये कुल 84,696=00 रूपये वसूली हेतु सम्बद्ध योजना लिपिक तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई आवश्यक एवं उचित कार्यवाई नही की गई। जो घोर आपत्तिजनक है। निर्गत आपति का अनुपालन संतोष प्रद नही पाया गया ।

अतः यथाशीघ्र सम्बन्धित अभिकार्त्ताओ से नगद एवं चावल का मूल्य के रूप में अग्रिम भुगतान की कुल राशि 84,696=00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जाय तथा संगत कोष के जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय।

(ख) वर्ष 2006–07 में आरम्भ/पूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) का केश रेकडस ,योजना पंजी/मापी पुस्त एवं रोकडपंजी से जाँच में पाया कि उक्त योजना में 60:40 के अनुपात मे योजनाओ के कार्यान्वयन करने का निर्देश था। किन्तु तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने कुछ योजनाओ में 60:40 प्रतिशत के अनुपात से अधिक प्राक्कलित राशि की प्राशसनिक स्वीकृति दे दी गई थी। जिसके कारण सम्बद्ध योजनाओ के अभिकत्ताओं को एक बडी राशि का अग्रिम का भुगतान 2,50,000 =00 रूपये किया गया था जिसका पूर्ण ब्यौरा परिशिष्ट ई II पर अंकित है तथा समेकित रूप से निम्नांकित है :–

योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	पुनरी वित्त प्रा0 राशि	अग्रिम भुगतान	कुल कार्य मापी	अधिक भुगतान
11/2006–07	श्री राजबली दास प0 सचिव	6,772=00	57,500=00	23,508=00	33,992=00
12/2006–07	तदैव	58,580=00	82,500=00	44,956=00	37,544=00
13/2006–07	तदैव	47,700=00	27,700=00	8364=00	19,136=00
14/2006–07	तदैव	88,924=00	82,500=00	28,836=00	53,664=00
			2,50,200=00	1,05,664=00	144336=00

ज्ञातव्य हो कि नरेगा के योजनाओ का कार्यान्वयन मे 60:40 के अनुपात मे मिट्टी कार्य एव मेटेरियल का उपयोग करना था जिसके कारण तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पूर्व मे दी गई अधिक प्राशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराकर 60 के अनुपात मे केवल मिट्टी कार्य का पुनरीक्षित प्राशासनिक स्वीकृति दी गई।

किन्तु तब तक सम्बद्ध योजना में प्रथम कार्यमापी के आधार पर मास्टर रॉल एवं अभिश्रव प्राप्त किये बिना अभिकर्त्ता को द्वितीय अग्रिम का भुगतान कर दिया गया पुनरीक्षित प्राक्कलन/प्राशासनिक स्वीकृत के बाद मापी पुस्त में किये गये कुल कार्य मापी से अधिक भुगतान हेतु तात्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने 69/71/72/ दिनांक 5.6.08 द्वारा कार्य मापी के अनुसार मास्टर रॉल तथा अभिश्रव प्रस्तुत करने अधिक अग्रिम जमा करने का नोटिश योजना अभिकर्त्ता को दी गयी थी किन्तु अंकेक्षण को केश रेकर्डस में मस्टर रॉल एवं अभिश्रव संलग्न नही

पाया गया और न वर्त्तमान अभिकर्त्ता से कार्यमापी से अधिक ली गई अग्रिम की वसूली हेतु नियमतः कोई उचित क्रमशः कार्यवाई ही की गई थी।

अतः यथाशीध्र कंडिका 4(क) एवं (ख) पर अंकित तथ्यो के आलोक मे परिशिष्ट "ई"Iएवं II का पर उल्लेखित अभिकत्ताओ से क्रमशः 84,696 =00 रू0 तथा 1,44,336=00 रूपया कुल 2,29,032=00 रूपये रद्द योजनाओं से सम्बधित आग्रिम तथा कार्य मापी से अधिक ली गई अग्रिम की वसूली किया जाय तथा वसूली के पश्चात् वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(5) विभिन्न पूर्ण योजनाओ के अग्रिम भुगतान से रॉयल्टी तथा वैट की देय राशि से कम एवं लोकल बालू का रॉयल्टी की कटौति नही करने के कारण 50,235=00 रू0 के राजस्व की क्षति :–

(क) काम के बदले आनाज योजना (N.F.F.W.) के केश रेकर्डस की जाँच योजना पंजी,मापीपुस्त एवं रोकड़ पुस्त तथा अन्य अभिलेखों से करने में पाया कि वर्ष 2005–06 में उक्त योजनान्तर्गत जो कार्य पूर्ण की गई उसमे अधिकांशतः ग्रामीण सड़को मे मिट्टी भराई एवं ईटीकरण से सम्बद्ध था जिसकें इटिकरण के बाद फीलिग के लिए लोकल बालू का उपयोग एक बड़ी मात्रा मे की गई थी। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 26(i) बी के अन्तर्गत अनुसूची II के अनुसार दिनांक 01.4.2001 से प्रवृत साधारण बालू का स्वामित्व शुल्क 25.00 रूपये प्रतिघन मीटर (71.00 रू0 प्रति सौ0 सी0 एफ टी) की दर से अभिकर्त्ता के अन्तिम विपत्र से कटौती करने का निर्देश था किन्तु काम के बदले आनाज योजनान्तर्गत किसी भी अभिकर्त्ता से उक्त अधिसूचना के अनुसार लोकल बालू से स्वामित्व शुल्क की राशि की कटौती नही की गई। जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट "उ"I पर उल्लिखित है। इसके अलावे दो योजनाओ में पक्का कार्य मे उपयोग सोन बालू,स्टोन चिप्स आदि पर स्वामित्व शुक्ल तथा वैट की राशि सहित कुल पूर्ण योजनाओ के अन्तिम भुगतान से 30,825=00 रूपये कटौती नही की गई है। जो सम्बधित अभिकर्त्ता से वसूली योग्य है।

(ख) पुनः वर्ष 2005–06 के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अभिलेख की जाँच योजना पंजी /मापी पुस्त/अभिश्रव एवं रोकड़ पुस्त तथा अन्य अभिलेखो से करने में पाया कि प्राय सभी पूर्ण योजनाओ मे उपयोग खनिज सामाग्री यथा–ईट,सोन बालू स्टोन चिप्स आदि पर मनमाने ढ़ग से किसी खनिज की स्वामित्व शुल्क की कटौती की गई तथा कुछ योजनाओ में छोड़ दी गई। प्रायः यही स्थिति पूर्ण योजनाओ के अग्रीम कार्य मापी के अनुसार अभिश्रवों के बैट की लागत राशि पर देय 4 प्रतिशत की दर बैट की कम राशि की कटौती की गई थी।

उल्लेखनी है अभिकत्ताओं के उक्त योजनान्तर्गत अंतिम भुगतान से कटौती की गई रॉयल्टी तथा बैट की राशि को अद्यतन कोषागार के सम्बधित शीर्ष में जमा नही की गई थी। जिसके लिए आपत्ति भी निर्गत की गई किन्तु वर्त्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नाजिर के उपेक्षापूर्ण खैये के कारण अंकेक्षण समापन तक रॉयल्टी एवं बैट की कटौती की गई राशि कोषगार में जमा नही की गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अधिसूचाना के अनुसार 1 अप्रैल 2001 से अनूसूची II नियम 26(1) बी के अनुसार स्वामित्व शुक्ल की निम्न दर प्रभावी है :–

(1) ईट – 20.00 रू0 प्रति हजार (8.00 रू0 प्रतिघन मीटर/प्रति 400 मानक ईट पर)

(2) सोन बालू – 85.00 रू0 प्रति सी0 एफ टी0 (30.00रू0 प्रतिघन मीटर)

(3) स्टोन चिप्स – 284.00 रू0 प्रति सी0 एफ0 टी0 (100.00 रू0 प्रतिघन मीटर)

(4) साधारण बालू 71.00 रू0 प्रति सी0 एफ0 टी0 (2500 प्रति घन मीटर)

इसके अतिरिक्त पूर्ण योजनाओ के अन्तिम मापी के अनुसार सामाग्रियो आपूर्त्तिकत्ताओ के विपत्र से लागत राशि पर वित (वाणिज्य कर) विभाग की बिक्री करके स्थान पर मूल्य वद्धिर्त कर प्रवासी दि0 01.4.2005 के अनुसार देय वैट 4प्रतिशत की दर से कटौती करने कर चालान से कोषागार के उचित शीर्ष में जमा करने का निर्देश है।

किन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के उक्त दोनो विभागो के अधिसूचना का उचित ढ़ग से पालन नही किया गया जिसके कारण वर्ष 2005–06 मे पूर्ण सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तिम भुगतान विपत्र से किसी में कम एवं किसी मे कुछ भी नही स्वामित्व शुक्ल एव वैट की राशि की कटौती की गई थी जिसके कारण सरकार को राजस्व की 19,410=00 की क्षति हुई।

इसप्रकार उक्त कंडिका 5 (क) एवं (ख) पर वर्णित तत्वो के आलोक मे क्रमशः 30,825=00 रूपये तथा 19,410=00 रूपये कुल 50,235=00 रूपये की क्षति हुई। अतः परिशिष्ट उ(i) एवं उ(ii) पर उल्लेखित काम के बदले आनाज योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वामित्व शुल्क एवं वैट की कुल राशि 50,235=00 रूपये कम कटौति की गई जिसे क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कारवाई कर इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दी जाय।

(6) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओ में आपूर्त्ति की गई चावल का खाली बोरा की बिक्री की राशि 14,088=00 रूपये वसूली योग्य :–

वर्ष 2005–06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार के पूर्ण/अपूर्ण योजनाओ की जाँच में पाया कि प्रखण्ड के पाँच जनवितरण प्रणाली के विक्रेतओ से योजना के सम्बद्ध अभिकर्त्ता ने लगभग 1174 किंवटल चावल का उठाव विभिन्न योजनाओ में किया गया था तथा कार्य सम्पादन के दौरान कार्यरत मजदूरों को मजदूरी के अंश के रूप मे चावल का वितरण किया गया किन्तु सम्बद्ध अभिकत्ताओ ने चावल के वितरण के पश्चात् खाली बोरा को खुले बाजार में निर्धारित दर पर बिक्री कर प्राप्त राशि को नजारत में जमा नही किया फलस्वरूप निर्धारित समय पर कोषागार में खाली बोरा की कीमत जमा नही हुई।

ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/काम के बदले अनाज योजना के संचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका मे स्पष्ट निर्देश था कि उक्त दोनो योजनाओ मे वितरण की गई चावल के खाली बोरा को खुले बाजार में 6.00 रू0 प्रति बोरा की दर से बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि को नजारत मे जमा कर देने तथा कोषागार के उचित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है।

किन्तु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओ मे आपूर्त्ति चावल का वितरण के पश्चात् खाली बोरा को निर्धारित दर पर बिक्री कर प्राप्त राशि जमा नही की गई थी जिसका पूर्ण व्यौरा ''उ'' पर अंकित है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा मे पाँच पंचायत सचिव तथा दो राजस्व कर्मचारियों ने अपने द्वारा उठाई गई चावल के वितरण के पश्चात् खाली बोरा के मद बिक्री की कुछ भी राशि जमा नही की जिसके कारण सरकार को एक बड़ी राशि के राजस्व की क्षति हुई ।

अतः परिशिष्ट ''उ'' पर उल्लेखित दोषी एवं उत्तरदायी कर्मचारियो से 2348 बोरा की 6.00 रू0 प्रति बोरा की दर से 14,088=00 रूपये वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा किया जाय,तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी दी जाय।

(7) मकान भाड़ा तथा यात्रा भत्ता के मद मे अनियमित एवं अधिक भुगतान 2531=00 रूपये वसूली योग्य :–

(क) शीर्ष 2515(ख) के वेतन भुगतान पंजी की जाँच मे पाया कि वर्ष 2006–07 मे श्री अनिरूद्ध प्रसाद सिंह प्रधान सहायक का स्थानान्तरण उप विकास आयुक्त हाजीपुर से इस प्रखण्ड मे हुई, तत्पश्चात् श्री सिंह पूर्व कार्यालय से विरमित होकर इस कार्यालय मे 19 जनवरी 2006 को योगदान दिये। तद्नुसार उन्हे 19 जनवरी 2006 से 31 जनवरी 06 तक वेतन एवं अन्य भत्ते सहित मकान भाड़ा भत्ता मद मे पूर्व पदस्थापन स्थान पर देय 7.50 प्रतिशत की दर से 335=00 रूपये का भुगतान दिनांक 31.03.06 को हुआ। इसके पश्चात् श्री सिंह को फरवरी 06 से जून 6 तक

मूल वेतन +महँगाई वेतन की कुल राशि 10650=00 रूपये पर 7.50 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा का भुगतान कतिपय विपत्र के माध्यम से किया गया।

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी मकान भाड़ा भत्ता नियमावली 1980 के पत्रांक 3/ए–1/3–5/80–5678/दिनांक –13.6.80 के नियम 5 कंडिका VIII के निर्देशानुसार उसमे स्थानन्तरण के स्थति मे कर्मचारी यदि अपना परिवार छह माह तक हम पुराने पदास्थापित स्थान पर रखते है तो उन्हे दो माह के लिए पूर्व स्थान पर देय मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान होगा तथा शेष चार माह के लिए पुराने तथा नये पदस्थापित स्थानो मे से जो कम होगा, उसी दर से मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान होगा। इस प्रकार नये पदस्थापित स्थान पर अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता की दर 5 प्रतिशत से दिनांक 19.3.2006 से अनुमान्य होगा।

किन्तु श्री अनिरूद्ध प्रसाद सिंह को 19 जनवरी 06 से 30 जून 06 तक पूर्व पदास्थापित स्थान हाजीपुर मे देय माकान भड़ा भत्ता 7.50 प्रतिशत की दर से भुगतान करना अनियमित था जिसका पूर्ण व्यौरा निम्नांकित है :–

माह	विपत्र सं0/वर्ष	मूल वेतन 7100+3550	भुगतीत माकान भड़ा	देय माकान भड़ा	अधिक भुगतान अन्तर्गत से
मार्च 06	01/06–07	10650	799.00	688.00–111.00	18.05.06
अप्रैल 06	02/06–07	10650	799.00	533.00–266.00	18.05.06
मई 06	8/06–07	10650	799.00	533.00–266.00	14.07.06
जून 06	13/06–07	10650	799.00	533.00–266.00	5.08.06

कुल – 909.00

इस प्रकार श्री सिंह को वित्त विभाग के उक्त नियम के विरूद्ध 909=00 रूपये का (19 मार्च से 30 जून तक) अनियमित एवं अधिक भुगतान कर दी गई।

(ख) शीर्ष 2515 (ख) के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 मे यात्रा भत्ता के मद मे भुगतान की जाँच यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति एवं भुगतान पंजी,रोकड़ पंजी से करने मे पाया गया कतिपय कर्मचारियो को विपत्र स0 34/05–06 तथा 69/05–06 के द्वारा क्रमशः 2265=00 रू0 तथा 10,00=00 रूपये का भुगतान दिनांक 14.02.06 तथा 12. 04.06 को किया गया। किन्तु सम्बधित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति की जाँच मे पाया कि उन्हे मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक यात्रा मे व्यतीत किये गये बारह घंटे तथा उससे कम समयावधि के लिए एक दिन का पूर्ण दैनिक भत्ता का भुगतान कर दिया गया था।

बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 65 (क) (i) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर निर्गत आदेशों एवं शर्त्तो के अधीन मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक यात्रा के दौरान 6 घंटे से अधिक किन्तु बारह घंटे तक व्यतीत समयावधि के लिए अर्धदैनिक भत्ता की दर से तथा बारह घंटे से अधिक समयावधि के लिए एक दिन का पूर्ण दैनिक भत्ता अनुमान्य है।

किन्तु परिशिष्ट ए (ii) पर कतिपय कर्मचारियों को उनके मूल देने पर देय दैनिक भत्ता के लिए मुख्यालय से बाहर 12 घंटे तथा उससे कम अवधि के लिए भी एक दिन का पूर्ण दैनिक भत्ता का अनियमित एवं अधिक 1147=00 रूपये का भुगतान कर दिया गया।

(ग) पुनः वर्ष 2006–07 के यात्रा भता भुगतान पंजी की जाँच रोकड़ पंजी तथा यात्रा विपत्र को कार्यलय प्रति की जाँच मे पाया गया कि विपत्र स0 64/06–07 तथा 66/06–07 के द्वारा क्रमशः 7700=00 रू0 तथा 1400=00 रू0 का कतिपय कर्मचारियों को भुगतान दिनांक 12.4.07 को किया गया था। किन्तु कतिपय कर्मचारियों के विपत्रो का गहन एवं विस्तृत जाँच मे पाया कि उनके द्वारा मुख्यालय चेहरा कला से हाजीपुर की कुल दूरी 30 किलोमीटर थी जिसके विरूद्ध उनके द्वारा बस भाड़ा के मद मे 20.00 रूपये तथा कुल दूरी 30 किलोमीटर पर 60 पैसे प्रतिकिलोमीटर की दर से जाने तथा उतनी भाड़े एवं सड़क भत्ता का दावा कर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। जो अनियमित था। नियमतः बस भाड़े मद में एकल भाड़े तथा बस पड़ाव से हाजीपुर गतव्य स्थान हेतु देय की दूरी का सड़क भत्ता देय होगा। उल्लेखनिय है कि उक्त विपत्र से अन्य कर्मचारियों द्वारा चेहरा कला से हाजीपुर की यात्रा हेतु आने जाने के लिए 10 किलो मीटर का सड़क भत्ता का दावा पाया गया।

इस प्रकार परिशिष्ट ए (ii) पर उल्लेखित कर्मचारियों को वास्ततिवक तय की गई दूरी से 50 किलोमीटर (60(–)10) सड़क भत्ता मद मे 475=00 रू0 का अधिक भुगतान कर दिया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाया गया।

अतः उक्त कंडिका 7(क),(ख) तथा (ग) पर उल्लेखित तथ्यो के आलोक मे क्रमशः 909=00 रू0 ,1147=00 रू0 तथा 475=00 रू0 कुल 2531=00 रू0 सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष मे जमा किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दी जाय।

(8) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत लिपीकीय भूल वश अन्तिम मापी से 991=00 रूपये का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

(क) वर्ष 2005–06 के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के केश रेकर्डस की जाँच योजना पंजी ,अग्रिम रोकड़ पंजी,मापी पुस्त एवं आय अभिलेखो से करने के क्रम मे पाया कि योजना सं0 6/2005–06 के विरूद्ध अन्तिम मापी 37,844=00 रूपये हुई जिसके विरूद्ध लिपीकीय भूलवश सम्बद्ध सहायक रोकड़ पंजी मे 38,300=00 रूपये का भुगतान दिनांक 18.4.06 को अंकित कर किया गया जिसका पूर्ण व्यौरा निम्नांकित है :–

योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	प्राक्वलित राशि	अन्तिम मापी	अग्रिम	बैट की कटौती	भु0योग्य की राशि	भु0 राशि	अधिक भुगतान	भुगतन तिथि
6/2005–06	श्री अशोक कुमार मिश्र प0 स0 (अभिकर्त्ता)	38,300.00	37,844.00	7500 नगद	26.00	22857.00	23,313.00	456.00	18.4.06
				7461.00 चावल					
				14,961.00					

इस प्रकार उक्त योजनान्तर्गत अभिकर्त्ता को 456.00 रूपये का अधिक भुगतान कर दिया गया,जो वसूली योग्य है।

(ख) पुनः योजना रू0 26/2005–06 के अन्तिम मापी 30,655=00 रूपये के विरूद्ध सम्बद्ध अभिकर्त्ता श्री विश्वनाथ साह प0 सचिव को 31,190=00 रूपये का लिपीकीय भूलवश आकलन की गलती के कारण 535=00 रूपये का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसका पूर्ण व्यौरा निम्नांकित है :–

योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	प्राक्कलित राशि	अन्तिम मापी	अग्रिम	बैट की कटौती	अन्तिम भु0योग्य की राशि	भु0 राशि	अधिक भुगतान	भुगतान तिथि
26/ 2005–06	श्री विश्वनाथ साह प0स0	30,700.00	30,655.00	17,500 नगद	1000.00	6186.00	6721.00	535.00	20.7.06
				5969 चावल					

23,469

इस प्रकार उपरोक्त मे 535=00 रूपये का अधिक भुगतान वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाया गया।

अतः उक्त दोनो योजनाओ मे क्रमशः 456=00 रू0 तथा 535=00रू0 कुल 991=00 रूपये उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष मे जमा किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग भी दी जाय।

(9) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्य हेतु दी गई 2,13,320=00 का अग्रिम असमायोजित :–

(क) अस्थायी अग्रिम रोकड़ पंजी तथा वैयक्तिक अग्रिम पंजी की जाँच मे पाया कि वर्ष 2006–07 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2006 को सम्पन्न कराने हेतु तत्कालीन अंचलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी श्री नजर हुसैन को 2,00,000=00 रूपये का भुगतान दि0 03.6.06 को किया गया। जिसका समायोजन जिला से पंचायत निर्वाचन कराने हेतु निधि प्राप्त होने पर करना था।

वस्तुतः तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्य हेतु पंचायत सदस्यों,पंचायत मुखिया,संरपचो आदि से नाम निदेशन शुल्क रूप में प्राप्त 3,19,500=00 रूपये से अंचलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को विचलन

कर उक्त अस्थायी अग्रिम का भुगतान कर दिया। जिसका सामंजन अद्तन लंबित है।

(ख) वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के अस्थाई अग्रिम रोकड़ पंजी तथा वैयक्तिक अग्रिम भुगतान पंजी से जाँच/सत्यापन क्रम में पाया कि उक्त अवधि कुल 18,96,680=00 रूपये सरकारी कर्यहित मे प्रखण्ड कर्मचारियों को भुगतान किया गया जिसके विरूद्ध 18,83,360=00 रूपये का समायोजन कतिपय अभिश्रव एवं नगद कर लिया गया किन्तु अद्तन 13,320=00 रूपये सम्बधित कर्मचारियों के पास अस्थायी अग्रिम की राशि बाकाया है जिसका व्यौरा निम्नांकित है :–

वर्ष	कर्मचारियो का नाम/पदनाम	अग्रिम प्रयोजन	अग्रिम का राशि	भुगतान तिथि
2005–06	श्री विश्वनाथ साह पंचायत सिचव	विधान सभा निर्वाचन 2006 के प्रतिवदेन की छाया प्रति करने हेतु।	2000.00	17.10.05
	श्री शभ्भू कुमार अनुसेवी	निर्वाचन कार्य हेतु	350.00	23.3.06
			2300.00	
2006–07	श्री मो0 इस्माइल अनुसेवी	निर्वाचन कार्य हेतु	200.00	29.4.06
	श्री राजेश वर्मा प्र0 कल्याण पदा0	छात्र वृति विवरण हेतु	10,820.00	14.10.06

कुल –11,020=00

इस प्रकार वर्ष 2005–06 में 2300.00 रूपये तथा 2006–07 में 11,020=00 रूपये कुल रूपये कुल 13,320=00 रूपये अग्रिम का समायोजन लंबित रह गया जिसे यथा शीध्र सम्बधित कर्मचारियों से अभिश्रव प्राप्त कर अथवा नगद वसूल कर कुल 13,320 रू0 का सामंजन किया जाय।

अतः यथाशीध्र उक्त कंडिका 9(क) एवं (ख) पर उल्लेखित अस्थायी अग्रिम की राशि क्रमशः 2,00,000=00 रू0 तथा 13,320=00 कुल 2,13,320=00 रू0 का समायोजित किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दी जाय।

(10) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार/काम के बदले आनाज योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के विपत्र से रॉंयल्टी एवं बैट की भुगतीत राशि 90,392=00 को कटौती नही करने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति :–

(क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत साढ़े 22.50 प्रतिशत से अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने हेतु निशुल्क रिक्सा/ठेला को बाँटने हेतु योजना सं0 56/2005–06 के द्वारा पत्रांक –02 मु0/दिनांक 02.02.06 के द्वारा 27 रिक्सा एवं 31 ठेला की आपूर्त्ति करने का आदेश मेसर्स वैशाली ट्रेडस खेसराही को दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध वैशाली ट्रेर्डस ने 25 रिक्सा 25 ठेला की आपूत्ति किया जिसका निर्धारित मूल्य 7632.00 रू0 प्रति रिक्सा की दर से 1,90,800=00 रू0 तथा 25 ठेला 5368=00रू0 प्रति की दर से रूपये 1,39,200=00 रू0 कुल कीमत 3,30,000=00 रूपये पर 4 प्रतिशत की वैट की राशि 13,200 रू0 सहित 3,43,200=00 रूपये का एक मुस्त भुगतान चेक स0 0765878/दिनांक 11.02.06 के द्वारा कर दी गई।

वाणिज्य कर सहायक आयुक्त हाजीपुर वैशाली के पत्रांक 346 दिनांक 13.7.05 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि संवेदकों

/आपूर्त्ति कर्त्ता के विपत्र के स्त्रोत से दिनांक 01.4.05 से बिक्री कर के स्थान पर अध्यादेश 2005 की धारा 40 एवं 41 के प्रावधानो के अनुसार वैट की राशि की कटौती कर विहित चालान से कोषागार मे जमा करना सुनिश्चित करेगे।

किन्तु वाणिज्यकर आध्यादेश 2005 की धारा 40 एवं 41 के निर्देशो का उल्लंधन करने के कारण वैट के रूप मे भुगतीत राशि 13,200=00 रूपये सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

निर्गत आपत्ति संतोषप्रद नही पाया गया। उल्लेखनिय है आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उक्त रिक्सा/ठेला की कीमत पर ली गई वैट की राशि 13,200=00 रूपये का कोषागार मे जमा की गई चालान भी अभिलेख में सलंग्न नही था और न अंकेक्षण के द्वारा माँग करने पर प्रस्तुत की गई।

(ख) काम के बदले आनाज योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में पूर्ण योजनाओ की जाँच केश रेकर्डस,अभिश्रव,मास्टर रॉल,मापी पुस्त योजना बही तथा सम्बद्व रोकड़ पंजी से करने के क्रम में पाया कि सभी योजनाओ मे ईट आपूर्त्तिकर्त्ता चिमनी मालिको द्वारा ईट की अदद दर रॉयल्टी तथा कुछ कीमत पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की राशि क्रमशः 17,417.00 रूपये तथा 59775.00 रूपये कुल 77192.00 रूपये रिटेल इन्वाइस एवं कभी अपने फार्म के लेटर पैड पर अंकित कर संवेदक से भुगतान प्राप्त कर लिया। जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट ''ऐ'' पर उल्लेखित है। किन्तु आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा संवेदको से विभिन्न योजनाओ में आपूर्त्ति ईट की रॉयल्टी तथा वैट की ली गई राशि को चालान से कोषगार मे जमा से सम्बद्ध कोई साक्ष्य नही दी गई जिसके कारण रॉयल्टी /वैट जमा की पुष्टि नही की जा सकी।

वित्त(वाणिज्य कर) विभाग बिहार पटना का अधिसूचना 132/133 दिनांक 16.10.02 के आलोक मे बिहार वित्त अधिनियम की धारा 25(क) एवं(ख) के निदेशानुसार आपूर्त्तिकर्त्ता के विपत्र से अंतिम बिक्री कर की राशि का आग्रिम कटौती करने का निर्देश था। तत्पश्चात् वित्त(वाणिज्य) कर विभाग का अध्यादेश 2005 के द्वारा बिक्री कर के स्थान पर धारा 40 तथा 41 के प्रावधानो के अनुसार आपूतिकर्त्ता के विपत्र स्त्रोत से दिनांक 01.4.2005 से 4

प्रतिशत वैट की कटौती करना था। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना के नियमावाली 1972 के नियम 26(I) बी के अन्तर्गत अनूसूची II के अनुसार दिनांक 01.4.2001 से ईट स्वामित्व शुक्ल 20.00 रू0 प्रति हजार की दर से विपत्र से कटौती करने का निदेश था।

किन्तु काम के बदले आनाज योजनान्र्गत सभी पूर्ण योजनाओ से आपूर्तिकर्त्ता एवं चिमनी मालिक द्वारा ली गई स्वामित्व शुल्क 17,417.00 रू0 तथा वैट 59,775.00 कुल 77192.00 रूपये विपत्र से कटौती नही करने कारण सरकारी राशि की क्षति हुई।

अतः उक्त दोनो विभागो के निदेशो को अनुपालन नही करने के कारण कुल 90392 रूपये की क्षति हुई उसके लिए दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्तियों पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है। जाँचोपरान्त किये गये कार्यवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(11) आकस्मिकता मद से स्टेशनरी सामाग्रियो का अनियमित एवं संन्देहात्मक क्रय क विरूद्ध 1892.00 रूपये का संभावित दुर्विनियोग :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के कार्यालय व्यय से सम्बद्ध अभिश्रवों की जाँच मे पाया कि विपत्र सं0 60/05–06 तथा 51/06–07 के कतिपय अभिश्रवो के द्वारा क्रमशः 13,800=00 रू0 तथा 13,800=00 का क्रय कर दिनांक 25.3.06 तथा 31.3.07 मे भुगतान किया गया। किन्तु कार्यालय व्यय से सम्बधित आभिश्रवों की गहन एवं विस्तृत जाँच मे पाया कि तत्कालीन लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने कुछ अभिश्रवों द्वारा क्रय करते समय बिहार वित्तीय नियमों एवं उचित प्रक्रिया को उपेक्षा एवं उल्लंघन किया, जो निम्नांकित है :–

(1) स्टेशनरी सामाग्रियो के क्रय के पूर्व क्रय हेतु आवश्यकता आधारित कोई अभियचना कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति नही ली गई। जबकि सम्बद्ध अन्य अभिश्रवों के द्वारा क्रय पहले एवं बाद के अभिश्रव से क्रय हेतु उक्त दोनो प्रक्रिया का पालन किया गया था।

(2) वैसे क्रय किये स्टेशनरी सामाग्रियो को किसी भंडार पंजी के आगत पत्र मे भडांर प्रविष्टी नही की गई थी जिसके कारण क्रय सामाग्रियों के उपयोग के औचित्य की जाँच नही हुई।

(3) जाँच में यह भी पाया गया कि क्रय के पूर्व कुछ अभियचना पर स्टेशनरी सामाग्रियो के सक्षम पदाधिकारी द्वारा मात्रा(अदद्) को बाद मे लिप्त लेखन कर बढ़ा दिया गया जिसके उपर उक्त पदाधिकारी का कोई अनुमति नही था।

वैसे क्रय से सम्बधित विस्तृत व्यौरा निम्नांकित है।

विपत्र सं0	प्रतिष्ठान का नाम	अभिश्रवस / तिथि	समाग्रियो का नाम	अदद	दर	कीमत	भुगतान तिथि
60 / 2005–06	मेसर्स जीवन ज्योति महुआ	47 / 13.12.05	सदा कागज 17X27	3 रीम	225.00 प्रति	675.00	
60 / 2005–06	तदैव	48 / 13.12.05	फैन्सी रजिस्टर	4 पीस	80.00 प्रति	320.00	25.03.06
						995.00	
60 / 2005–06	मे0 प्रकाश स्टेशनरी स्र्टोस हाजीपुर	63 / 02.01.06	फलाई लीफ	100 अदद	3.50 रू0 प्रति	350.00	25.03.06
51 / 2006–07	मे0 इलेक्ट्रोनविस टाइपिंग सेवा मुजफ्फरपुर	17 / 05.12..06	फोटोस्टेट कम्पयूटर टाइपिंग	162 पृ0 6 पृष्ठ	100 प्रति 15 प्रति	162.00 90.00 252.00	31.3.07

51／ 2006–07	मे0 मिसलेनियस स्टॉस हाजीपुर	15／20. 11.06	रजिस्टर मोटा	3 अदद	40 प्रति	120.00	
			फलाई लिफ	50 अदद	3.50 प्रति	175.00	31.3.07

295.00

ज्ञात हो कि विपत्र सं0 60／05–06 के अभिश्रव सं0 63／02.01.06 द्वारा कुल योग 892=00 रू0 100 अदद फलाईलिफ की अभियचना का जिसपर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् 100 अदद को लिप्त लेखन कर 200 अदद कर अनियमित क्रय किया गया जिसका कोई भंडार प्रविष्टी नही थी। विपत्र 51／06.07 के अभिश्रव सं0 17／05.12. 06 के पूर्व／बाद अभिश्रव सं0 16／24.11.06 तथा 18／8.12.07 द्वारा व्यय के पूर्व अभियाचना कर स्वीकृति ली गई थी।

बिहार वित्तीय नियमावली भाग– I के नियम –132 एवं भाग–II के परिशिष्ट 2(iii) के निदेशानुसार क्रय किये सामाग्रियो का किसी भंडार पंजी मे भंडारण आवश्यक है जिससे क्रय का सत्यता एवं उपयोग की औचित्य की जानकारी हो।

बिहार वित्तीयनियमावली भाग– I के नियम 110 एवं 129 से तथा बिहार स्टेशनरी मैनुअल के नियम 14 के अनुसार क्रय के पूर्व कोटेशन／निविदा लेकर तथा सक्षम पदाधिकारी से निम्नतर दर की स्वीकृति लेना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार तत्कालीन लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं सम्बधित कर्मचारी ने जान बूझकर उपरोक्त लिखीत विपत्रो के कतिपय अभिश्रवों के माध्यम से वित्तीय नियम एवं उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रमशः 995.00 रू0 है 350.00 रू0 ,252.00 तथा 295. 00रू0 कुल 1892.00 रू0 सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया।

अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान उक्त अनियमित एवं सन्देहास्पद व्यय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई करने के लिए आकृष्ट किया जाता है। जाँचोपरान्त किये गये कार्यवाही से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय। तब कुल राशि 1892.00 रूपये आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

भाग –2

(12) नाम निदेशन शुल्क 3,19,500.00 रूपये कोषागार मे जमा करने का सुझाव :–

वर्ष 2006 मे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मे भाग लेने वाले उम्मीदवारो,यथा मुखिया,संरपंच,पंच, पंचायत सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्यो से निम्नाकित दर से नाम निदेशन शुल्क के मद मे कतिपय नाजिर रसीद से 3,19,500.00 रूपये प्राप्त हुआ था जिसका दर निम्नवत् तथा पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''ओ'' पर अंकित है :–

(1) पंचायत मुखिया/संरपच/पंचायत समिति सदस्य सामान्य कोटि – 1000.00 रू0

आरक्षित पद – 500.00 रू0

महिला पद – 500.00 रू0

(2) पंचायत सदस्य(वार्ड सदस्य) /पंच हेतु – सामान्य पद –250.00 रू0

आरक्षित पद – 125.00 रू0

महिला पद – 125.00 रू0

उपरोक्त दर से निर्धारित नाम निदेशन शुल्क के रूप में नाजिर रसीद सं0 029501 से 029550 तक एक भोल्यूम तथा 828001 से 828800 तक 16 भोल्यूम द्वारा 3,19,500=00 रूपये प्राप्त हुआ जिसे यथा समय सम्बद्ध सहायक रोकड़ पंजी के आय पक्ष मे प्रविष्टी हुई। जिसका सामेकित विवरण निम्नांकित है।

नजिर रसीद से प्राप्त	कुल उम्मीदवारो की	नाम निदेशन शुल्क	सहायक रोकड़ पंजी

नाम निदेशन की शुल्क की तिथी	संख्या	की कुल राशि	मे प्रविष्ट तिथि
दि0 19.03.06	435	1,83,125.00	दि0 20.03.06
दि0 21.03.06	117	36,875.00	दि0 22.03.06
दि0 22.03.06	182	53,000.00	दि0 23.03.06
दि0 23.03.06	2	250.00	दि0 24.03.06
दि0 24.03.06	102	25,500.00	दि0 25.03.06
दि0 26.03.06	68	18,250.00	दि0 27.03.06
दि0 14.10.06	12	2500.00	दि0 14.10.06

कुल योग – 3,19,500.00

बिहार कोषागार संहिता भाग – I के नियम 7(1) के निर्देशानुसार राजस्व के रूप मे प्राप्त राशि यथा शीध्र कोषागार के उचित शीर्ष मे जमा करना अनिवार्य है किन्तु उक्त राशि कोषागार में जमा नही किया गया। अंकेक्षण के दौरान इस पर आपत्ति निर्गत करने के बावजूद नाम निदेशन शुल्क की प्राप्त राशि 3,19,500=00 रू0 कोषागार में जमा नही कर अद्यतन प्रंखडीय खजाने में रखा पाया गया।

अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान परिशिष्ट ''ओ'' पर अंकित कतिपय तिथियो मे नाम निदेशन शुल्क के रूप प्राप्त राजस्व को कोषागार के उचित शीर्ष मे जमा कराने हेतु आकृष्ट किया जाता है की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को भी सूचित किया जाय।

(13) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/द्वादश वित्त आयोग के पूर्ण योजनाओ के अंतिम भुगतान से रॉयल्टी/वैट की कटौती की गई 45,400=00 रूपये कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 मे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा द्वादश वित्त आयोग के कतिपय पूर्ण हुई योजनाओ के अभिकर्त्ता के मापीपुस्त के अनुसार अन्तिम विपत्र से पूर्व मे ली गई अग्रिम के सामंजन के पश्चात् शेष बची राशि से रॉयल्टी के मद मे 3846.00 रू0

तथा वैट के मद में 41559.00 रूपये कुल 45.400.00 की कटौती की गयी गई किन्तु उक्त राजस्व के रूप मे प्राप्त राशि को कोषागार मे जमा नही कर रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के रूप प्रखण्ड के खजाने (बैक में) जमा रखा था।

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम (i) के अनुसार किसी प्रकार का प्राप्त राजस्व बिहार सरकार के संचित निधि का अंश है जिसे यथाशीध्र कोषागार मे जमा करना अनिवार्य है। किन्तु उक्त राजस्व की प्राप्त राशि 45.400.00 सरकारी कोषागार में जमा नही किया गया। इस सम्बन्ध मे निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाई गई।

अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान परिशिष्ट ''औ'' पर अंकित कतिपय योजनाओ से कटौती की गई रॉयल्टी एवं वैट की कुल राशि 45.400=00 को यथाशीध्र कोषागार में उचित शीर्ष मे जमा कराने हेतु आकृष्ट किया जाता है। तथा की गई कार्रवाई /प्रतिफल वित्त(अंकेक्षण) विभाग को भी सूचित किया जाय –

(14) आकस्मिकता के मद की अव्यवहरित राशि 30,899=39 रूपये कोषागार में जमा करने को सुझाव :–

(क) शीर्ष 2515 (ग) सूद/आकस्मिकता के सहायक रोकड़ पंजी की जाँच मे पाया कि वर्षो पहले कार्यलय व्यय वर्दी भता तथा वाहन के रखरखाव हेतु कतिपय विपत्रो से आंवटन के विरूद्ध निकासी की गई राशि से व्यय के बाद अद्तन 12,098=09 रूपये अव्यवहरित पाया गया जिसका व्यौरा भिन्न है :–

शीर्ष	मद	अव्यवहारित राशि की अवधि/राशि दि0 28.05.03 से	अंकेक्षण समापन तिथि तक अव्यवहारित राशि/अवधि दि0 31.12.2008 तक
2515(ग)	कार्यालय व्यय	70,78.09	7078.09

2515(ग)	वर्दीभत्ता	920.00	920.00
2515(ग)	वाहन के रखरखाव	4050.00	4050.00
	कुल खर्च	12,048.09	12048.09

उक्त अव्ययगत/अव्ययहरित राशि वर्षो पहले वित्तीय वर्ष 2003–04 के पूर्व से अवशेष के रूप मे यो ही पड़ी है, जिसे यथासमय कोषागार में जमा नही किया गया।

(ख) पुनः शीर्ष 2515 (ख) विकास के सहायक रोकड़ पंजी की जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2000–01 में तत्कालीन नाजिर श्री मोहम्मद अल्लाउद्दीन ने आकस्मिकता मद में कतिपय विपत्रो से 26827=00 रूपये की निकासी दिनांक 31.3.2001 को की गई थी।

विपत्र सं0	आकस्मिकता मद	राशि (निकासी)
69/2000–01	वाहन का रखरखाव/ईंधन	10,000.00
79/2000–01	तदैव	10,000.00
80/2000–01	कार्यालय व्यय	6000.00
78/2000–01	विधुत व्यय	350.00
67/2000–01	वर्दी भत्ता	477.00
	कुल –	26,827.00

उपरोक्त आकस्मिकता मद में निकासी की गई राशि शीर्ष 2515 (ख) के सहायक रोकड़ पंजी के आयपक्ष मे दिनांक 31.3.2001 को लिपीकीय भूलवश अंकित नही किया गया, किन्तु उक्त तिथि के सामान्य रोकड़ पंजी के पृष्ट 142 पर आगत मद मे शीर्ष 2515 (ख) अंकित कर कुल आकस्मिकता मद में कोषागार से प्राप्त 26,827=00 रू0 की प्रविष्टी कर सहायक रोकड़ पंजी के पूर्व का संवरण शेष 1,13,968=00 रूपये से बढ़ाकर 1,40,795=00 रूपये कर दी गई।

तत्पश्चात वर्तमान नाजिर श्री वसीन अहमद फिरोज द्वारा दिनांक 02.8.2002 को प्रभार लेने के बाद पूर्व नाजिर द्वारा किये गये लिपीकीय भूल को वर्ष 2002–03 में दिनांक 09.12.2002 को सुधार शीर्ष 2515(ख) के सहायक रोकड़ पंजी के आय पक्ष में उक्त आकस्मिकताओं कुल राशि 26,827=00 को अंकित कर किया गया। इसके बाद

आकस्मिकता मद की निकासी की गई राशि से वर्ष 2005–06 मे वाहन मद में दिनांक 22. 06.05 को 1188=70 रूपये व्यय दिखाया गया किन्तु अंकेक्षण समापन तिथि 31.12.2008 तक वर्ष 2000–01 मे निकासी की गई राशि 26827=00 मे व्यय के पश्चात् 18811=30 रूपये (26827=00(–)1188=70) अवशेष पाया गया।

बिहार वित्तीय नियामावली भाग–I के नियम –13 तथा बिहार कोषागार संहिता खण्ड– I के नियम 300 के अनुसार कोषागार से निकासी कर रोकड़ पंजी एवं पंजी संवरण शेष के रूप में रखना तथा आवश्यकतानुसार व्यय करने पर प्रतिबंध है कोषागार से उतनी राशि की निकासी किया जाय जिसका व्यय सुनिश्यित हो। साथ ही बिहार कोषागार संहिता भाग– I के नियम 289 (iii) के अनुसार कोषागार से निकासी के तीन माह मे व्यय के पश्चात् अव्ययगत राशि को कोषागार मे जमा करना अनिवार्य है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोष प्रद नही पाया गया। अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान आकस्मिकतामद मे अव्यगत एवं अव्यवहरित राशि क्रमशः 12048=09 तथा 18,811=30 कुल 30,899=39 रूपये को कोषगार के उचित शीर्ष मे जमा कराने हेतु आकृष्ट किया जाता है, की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(15) मृत प्रायः सहायक रोकड़ पंजी का संवरण शेष 47209=00 रूपये अव्यवहरित राशि के संबंध मे :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के सभी सहायक रोकड़ पंजी के प्रारभ्भण शेष एव संवरण शेष की जाँच/सत्यापन सामान्य रोकड़ पंजी के क्रम में पाया कि कुल सहायक रोकड़ पंजी का प्रारभ्भण शेष के रूप दिनांक 01.04.2005 को जो राशि दिखाई गई है अंकेक्षण समाप्ति तिथि दिनांक 31.12.2008 को उतनी ही राशि ज्यो का त्यो मृत पड़ी थी। जिसका कोई व्यय भविष्य मे होने की सभ्भावना नही हैं। जो स्पष्ट रूप से कोषागार से निकासी एवं व्यय के पश्चात् अव्यवहरित राशि है। जिसका पूर्ण व्योरा निम्नांकित है :–

शीर्ष/मद	01.04.05 का	दिनांक 31.12.08 का	अभ्युक्ति

	प्रारम्भण शेष	संवरण शेष	
निजी बोरिंग	46,550=00	46,550=00	
संसद योजना	547=00	547=00	
जनगणना	112=80	112=80	
	47209=80	47209=80	

अव्यवहरित राशि के रूप मे रखा जाना आपति जनक है इस सम्बद्ध मे समय—समय पर मुख्य सचिव बिहार पटना को स्पष्ट निर्देश सभी विभागाध्यक्षो/आयुक्तो/जिलाधिकारियों के रोकड़ पंजी मे अनावश्यक संवरण शेष के रूप पड़ी राशि यथाशीध्र कोषागार में जमा किया जाय।

निर्गत आपति का अनुपालन संतोष प्रद नही पाया गया। अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान मृत प्राय सहायक रोकड़ पंजी के संवरण शेष के रूप मे कुल 47209=80 रूपये संबंधी ग्रामीण राशि विकास विभाग बिहार पटना से दिशा निदेश प्राप्त कर कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा की गई कारवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(16) विभिन्न बैको के बचत खातो के जमा राशि पर प्राप्त सूद को व्यय किया जाना, रू0 1,37,761 रू0 आपति अन्तर्गत :—

(क) वर्ष 2005—06 एवं 2006—07 मे प्रखण्ड कार्यालय द्वारा संधारित कतिपय सोलह बैको के पास बुक/बैक स्टेमेंट की जाँच एवं सत्यापन सुद की सहायक रोकड़ पंजी से करने के क्रम मे पाया कि सम्बद्ध बैक के बचत खाता मे विभिन्न योजनाओ/राज्य , राष्ट्रीय वृद्धापेन्सन/छात्रवृति आदि के मद मे जिला से प्राप्त चेक/ड्राफ्ट की जमा राशि पर अर्द्धवाषिकी की दर से वर्ष मे दो बार सूद की गणना कर जमा मद मे 6,41,015=84 रूपये की प्रविष्टी पाई गई थी जिसके संधारण सहायक रोकड़ पंजी के सत्यापन क्रम में सही पाया जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है। तपश्चात् उप विकास आयुक्त के निदेशानुसार दैनिक रूप से कार्यरत झाडूकश/जीप चालक को पारिश्रमिक के रूप मे तथा इन्द्राआवास के सूचनापट के भुगतान हेतु भारतीय इन्टर

प्राइजेज पटना को और कुछ उनके निदेशानुसार जिला को लौटा दी गई जिसका समेकित विवरण निम्नांकित है :–

वर्ष 2005–06 मे 10 बैको से सूद के रूप मे राशि – 2,43,601=51

वर्ष 2006–07 में 10 बैको से सूद के रूप मे राशि – 3,97,414=33

कुल प्राप्त सुद की राशि – 641,015=84

दैनिक स्वीपर/जीप चालक को भुगतान की गई राशि – 87,761=00

553,254=84

उप विकास आयुक्त वैशाली के वेतार संवाद 99/13.01.06 के निदेश पर भारतीय इन्टर प्राइनेज पटना को भुगतान – 50,000=00

5,03,254=84

उप विकास आयुक्त वैशाली के वेतार संवाद 1249/17.05.06 के निदेश पर बुनियादी/सामान्य इन्द्रा आवास का जमा सूद को चेक द्वारा लौटाई गई – 2,84,012=00

2,19,242=84

दिनांक 12.12.06 को सम्पूर्ण रोजगार योजना की सूद की राशि को सम्बद्ध सहायक रोकड़ पंजी में स्थान्तरण – 146936=00

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 मे अवशेष सूद की राशि – 72,306=84

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 7(i) के अनुसार किसी प्रकार का प्राप्त आय बिहार सरकार के राजस्व का एक अंश है जिसे यथा शीध्र समय पर कोषागार मे जमा करना अनिवार्य है।

किन्तु उपरोक्त सामेकित विवरण तथा परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित विभिन्न बैको के जमा राशि पर प्राप्त सूद की राशि को बिना ग्रामीण विकास विभाग एवं वित्त विभाग बिहार पटना की अनुमति अत्यावश्यक है।

(ख) वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 मे दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत जीप चालक श्री सुरेन्द्र कुमार तथा झाड़ूकश श्री संजय कुमार को क्रमशः 49,500=00 रूपये तथा 38261=00 रूपये कुल 87761=00 रूपये विभिन्न तिथियों मे बैक से प्राप्त सूद की राशि से पारिश्रमिक भुगतान किया गया जो अनियमित है जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट ''अं'' पर अंकित है।

ज्ञातव्य हो कि दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत जीप चालक एवं झाड़ूकश को दिसम्बर 98 से अगस्त 99 तक का पारिश्रमिक का भुगतान आकस्मिकता मद से किया गया था। किन्तु तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने दैनिक भोगी कर्मचारियों की संचिका मे आकस्मिकता मद से भुगतान को विचलन बताकर उप विकास आयुक्त वैशाली को सूद की राशि से दैनिक भोगी कर्मचारियों को भुगतान से सम्बद्ध अभिश्रवो को समायोजन हेतु प्रस्ताव भेजा जिसे तत्कालीन उप विकास आयुक्त वैशाली ने दिनांक 27.7.99 को अपना सहयोगत्मक मँतव्य देकर अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी वैशाली को भेजा जिसपर समाहर्त्ता महोदय ने दिनांक 28.7.99 को केवल संक्षिप्त किन्तु अस्पष्ट हस्ताक्षर कर लौटा दिया उन्होने यथा प्रस्तावित जैसी कोई स्पष्ट अभ्युक्ति नही दी थी।

उल्लेखनीय है कि इसी को मापदण्ड बनाकर दिसम्बर 98 अद्यतन दैनिकभोगी कर्मचारियों को सूद की राशि से पारिश्रमिक का भुगतान होता रहा जो बिहार वित्तीय नियमा वली भाग–I के नियम 7(1) के सर्वथा प्रतिकूल है।

इस प्रकार उपविकास आयुक्त वैशाली के आदेश पर दैनिकभोगी कर्मचारियो के पारिश्रमिक एवं सूचना पट बनाने वाली प्रतिष्ठान भारतीय इन्टर प्राइजेज पटना को उक्त कंडिका 16(क) एवं (ख) के अनुसार क्रमशः 87761=00 रूपये तथा 50,000=00 कुल 1,37,761=00 रूपय का भुगतान कर दिया गया जो अनियमित है ।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारी का ध्यान उक्त अनियमित व्यय की ओर आकृष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति कर नियमित करने तक कुल राशि 1,37,761=00 रूपये आपति अन्तर्गत रखी जाती है। जिसको नियमित कराकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(17) अभिश्रवो के मद मे 2,62,253=94 रूपये का समायोजन नही के संबंध में :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के अभिश्रव पंजी एवं लंबित असमायोजिज अभिश्रवो की जाँच/सत्यापन क्रम मे पाया कि पर्याप्त आंवटन के अभाव मे दूसरे निधि का विचलन कर कार्यलय व्यय,वाहन के रखरखाब एवं इंधन तथा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत 2006 के आवश्यक व्यय हेतु कुल 3,71,673=98 रूपये का भुगतान किया गया। जिसके विरूद्ध आंवटन प्राप्त होने पर केवल 1,09,420=04 रूपये का ही समायोजन किया गया किन्तु अद्तन 2,62,253=94 रूपये का अभिश्रव समायोजन हेतु लंबित पड़ा रह गया जिसका वर्षवार व्यौरा निम्नांकित है :–

वर्ष	अभिश्रव मद में व्यय	आंवटन के विरूद्ध समयोजित अभिश्रव	अदयतन असमायोजित अभिश्रव
2005–06	1,42,058=53	44,488=85	97,569=68
2006–07	2,29,615=45	64,931=19	1,64,684=26
	371,673=98	1,09,420=04	2,62,253=94

बिहार वित्तीय नियमावली भाग– I के नियम 8,471 तथा 479 के निदेशानुसार किसी भी मद के निधि का विचलन अनियमित है ।

अतः यथाशीध्र सम्बद्ध विभाग से अतिरिक्त आंवटन की माँग कर वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में कुल असमायोजित अभिश्रवो 2,62,253=94 को समायोजित कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग की दी जाय ।

(18) आकस्मिकता मद से 17,058=00 रूपये का कार्यालय व्यय/ वाहन का रखरखाव पर अनियमित व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के कार्यलय व्यय के अभिश्रवो की जाँच आकस्मिक पंजी सहायक रोकड़ पंजी आदि से करने के क्रम मे पाया कि विपत्र सं0 60/05–06 एवं 51/06–07 द्वारा क्रमशः 6186=00 रूपये तथा 6805=00 रूपये कुल 12,991=00 रूपये

का भुगतान विभिन्न तिथियों मे किया गया था जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट छ–I पर उल्लेखित है। किन्तु अभिश्रवो के गहन जाँच मे पाया कि बिहार वित्तीय नियमो एवं बिहार स्टेशनरी संहिता के नियमों के निर्देशों का पालन नही किया गया जो निम्न है :–

(1) बिहार वित्तीय नियमावली भाग –I के नियम 110 तथा 130 के अनुसार क्रय के पूर्व कोटेशन लेकर सक्षम पदाधिकारी के निम्नतर दर स्वीकृत नही कर खुले बाजार से विभिन्न दरो पर स्टेशनरी सामाग्रियो का क्रय किया गया।

(2) जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा सामग्रियो के क्रय हेतु निर्धारित मूल्य की छाया प्रति लेकर तदनुसार क्रय नही किया गया।

(3) बिहार वित्तीय नियमावली भाग – I के नियम 132 तथा भाग – II के परिशिष्ट – III एवं बिहार स्टेशनरी मैनुअल के नियम 14 के अनुसार क्रय किये गये सामाग्रियो को किसी भंडार पंजी मे भंडार प्रविष्टी नही की गई जिससे क्रय किये गये सामाग्रियो का उपयोग का औचित्य का ज्ञात नही हुआ।

इस प्रकार परिशिष्ट 'क्ष' -II पर स्टेशनरी सामाग्रियो के मद मे कुल व्यय 12,991=00 रूपये को आपत्ति जनक एवं अनियमत है।

(ख) पुनः वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के कार्यालय व्यय के अभिश्रवो की जाँच मे पाया कि विपत्र सं0 60/05–06,51/06–07 तथा 53/06–07 के कतिपय अभिश्रवो के द्वारा स्थायी दैनिक उपयोग के सामाग्रियो का क्रय कर क्रमशः 145=00 रू0,210=00 रू0 तथा 826=00 रूपये कुल 1181=00 रू0 का भुगतान विभिन्न तिथियों मे किया गया जिसका विस्तृत व्योरा परिशिष्ट ''क्ष''– II पर उल्लेखित है।

किन्तु उक्त विपत्रो से सम्बद्ध कतिपय अभिश्रवो की जाँच मे बिहार वित्तीय नियम 132 तथा परिशिष्ट III के अनुसार क्रय किये सामाग्रियो का भंडार प्रविष्टी नही किये जाने के कारण क्रय किये गये स्थायी सामाग्रियाँ यथा :– वाल्टी,ताला,टार्च आदि सामाग्रियो को किसे हस्तगत कराया गया तथा किस स्थिति मे है अंकेक्षण को ज्ञात नही हुआ। किसी स्थायी भंडार पंजी का संवरण नही किये जाने के कारण स्थायी सामाग्रियो का भंडारण

नही हुआ फलस्वरूप वर्ष मे एक बार उनका कार्यालय प्रधान द्वारा भौतिक सत्यापन सम्भव नही हुआ।

अतः परिशिष्ट ''क्ष''– II पर उल्लेखित स्थायी सामाग्रियो के क्रय पर कुल व्यय 1181=00 रू0 अनियमित एवं आपति जनक है।

(ग) वाहन के रखरखाव तथा ईधन मद के अभिश्रवो की जाँच मे पाया कि विपत्र सं0 61/2005–06 तथा विपत्र सं0 50/06–07 के कतिपय अभिश्रवो के द्वारा प्रखण्ड जीप संख्या बी0 आर0 –31–1758 के पार्टस बदलाव एवं मरम्मति पर क्रमशः 525=00 रूपये तथा 2361=00 रूपये कुल 2886=00 रूपये का भुगतान विभिन्न तिथियों मे किया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट''क्ष''– III पर अंकित है।

किन्तु जीप का लॉग बुक की जाँच/सत्यापन क्रम मे पाया कि कतिपय अभिश्रवों द्वारा पार्टस का क्रय एवं बदलाव तिथि में जीप प्रखण्ड मुख्यालय मे था अथवा अन्यत्र भ्रमण पर था जिसका विस्तृत उल्लेख परिशिष्ट ''क्ष''– III के अभ्युक्ति कॉलम मे कर दी गई है।

वित्त विभाग के संकल्प सं0 7723 दिनांक 12.12.88 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 32/दि0 03.01.96 कंडिका –6 के उप कंडिका 5 के अनुसार 500 रूपये से अधिक व्यय हेतु मोटर गाड़ी निरीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा उप कंडिका (6) अनुसार पार्टस के बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य विहित पंजी मे दर्ज किया जाय। जो इस कार्यालय मे पूर्व से ही संधारित नही हो रही है। इसप्रकार उक्त निर्देश के पालन नही किये जाने के कारण जीप के मरम्मति एवं पार्टस बदलाव पर कुल व्यय 2886=00 रू0 अनियमित एवं आपत्ति जनक है।

अतः विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान स्टेशनरी सामग्रियों एवं वाहन के पार्टस बदलाव/मरम्मति पर उपरोक्त कंडिका के क, ख और ग के अनुसार 12,991=00 रू0 ,1181=00 रू0 तथा 2886=00 रूपये कुल 17,058=00 रू0 किये गये व्यय को नियमित करने हेतु आकृष्ट किया जाता है कार्रवाई के पश्चात प्रतिफल से

वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तब तक कुल राशि 17,058=00 रू0 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(19) वित्तीय नियमो एवं सरकारी परिपत्र का उलंघन कर जीप की मरम्मती एवं पेन्टीग पर 14,250=00 रू0 का अनियमित व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–वर्ष 2005–06 मे विपत्र संख्या 61/2005–06 के अभिश्रव सं0 38/22–9–05,42/20.10.05 तथा 43/30.01.06 के द्वारा प्रखण्ड जीप की मरम्मती एवं पेन्टीग पर क्रमशः 4900=00 रू0 ,4900=00 रू0 तथा 4450=00 रू0 कुल 14,250=00 रू0 का भुगतान कतिपय तिथियों मे किया गया जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट 'त्र' पर अंकित है किन्तु उक्त अभिश्रवो के विस्तृत जाँच में पाया गया कि जीप के इतने बड़े मरम्मती एवं पेन्टीग कार्य हेतु बिहार वित्तीय नियम तथा सरकारी परिपत्र के अनुसार निदेशित उचित प्रकिया का पालन नही किया गया जो निम्न प्रकार है :–

बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या डी0 पी0 –4–10–8/87–7723 दिनांक 24–12–88 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 32 दिनांक 03.01.96 के अनुसार मोटर गाडी की मरम्मती मद प्रदत अतिरिक्त वित्तीय शक्ति का पालन नही किया गया।

ज्ञातव्य हो कि वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आलोक मे मोटर गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिवर्ष एक गाड़ी पर 5000=00 रू0 तक व्यय करने का अधिकार दिया गया था।

किन्तु तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने वित्त विभाग के उक्त संकल्प के अवहेलना कर मनमाने ढंग से प्रखण्ड जीप पर वर्ष मे एकमुस्त 14,250=00 रूपये का अनियमिता व्यय किया जिसके लिए किसी सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति नही ली गई और न किसी वित्तीय नियमो के अधीन उचित प्रकिया का पालन किया गया।

निर्गत आपति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाया गया अतः विभागीय उच्चधिकारी का ध्यान परिशिष्ट ''त्र'' पर उल्लेखित अनियमित व्यय रू0 14,250=00 नियमित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त

(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तबतक कुल राशि 14,250=00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(20) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनार्न्तगत अपूर्ण योजनाओ के मद मे अग्रिम भुगतान की राशि रू0 25,38,640=00 रूपये असमायोजित :–

वर्ष 2005–06 मे प्रारभ्भ की गई सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओ के अभिलेखो की जाँच /सत्यापन मापी पुस्त योजना पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी तथा खाधान्न (चावल) भंडार पंजी से करने के क्रम मे पाया कि उक्त अवधि मे 76 योजनाएँ आरभ्भ की गई जिसमे 36 योजनाएँ पूर्ण तथा अग्रिम भुगतान पाया गया। किन्तु 40 योजनाएँ अपूर्ण एवं अधूरी पायी गई। कतिपय अपूर्ण 40 योजानओ मे 4 योजनाएँ प्रथम भुगतान के पश्चात् ही स्थगित कर दी गई। लेकिन 36 योजनाएँ का काम अन्तिम चरण मे अधूरी छोड़ दी गई क्योकि सम्बन्धित योजनाओ में 21,41,500=00 रूपये का विभिन्न अभियन्ताओं को नगद अग्रिम स्वरूप रोकड़ पंजी भुगतान दिखाकर किया गया तथा 3,97,140=00 रूपये मूल्य का चावल का निर्गत परमीट के अनुसार उठाव किया गया था। इस प्रकार कुल 25,38,640=00 रूपये का अग्रिम भुगतान हुआ। जिसका पूर्ण व्यौरा ''अ'' पर उल्लेखित है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि अधिकांश योजनाओ मे प्राक्कलन के सन्निकट राशि का भुगतान सम्बद्ध अभिकर्त्ता को कर दी गई। किन्तु फिर अपूर्ण रह गई।

बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 5285/ दि0 27.5.06 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रायः सभी जिलो मे रोजगार गारंटी अधिनियम(नरेगा) को दिनांक 02.02.2006 से कार्यान्वयन किया जा चूका है इसलिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (s g r y) तथा काम के बदले अनाज योजनाओ को राष्ट्रीय गांरटी रोजगार अधिनियम नरेगा में समाहित कर दिया गया है अतः उक्त दोनो योजनाओ को अपूर्ण योजनाओ को व्यक्तीगत रूप से ध्यान देकर किसी भी स्थिति मे दिनांक 30.6.2006 तक पूर्ण कराया जाय। ग्रामीण विकास विभाग के उक्त पत्र को द्वष्टिपथ पक्ष मे रखते हुए उप विकास आयुक्त हाजीपुर वैशाली ने पंत्राक 1412/दि0 16.06.06 के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को किसी भी स्थिती मे

दिनांक 25.06.06 तक पूर्ण कराकर व्यय प्रतिवेदन (उपयोगित प्रमाण पत्र) देने का निदेश दिया था।

किन्तु परिशिष्ट ''ज्ञ'' पर उल्लेखित अपूर्ण योजनाओ मे अधिकांशतः पूर्ण होने की स्थिति मे रह गई योजनाओ को तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सम्बद्ध योजना लिपिक के द्वारा कतिपय अपूर्ण योजनाओ को पूर्ण कराने हेतु आपेक्षित कार्रवाई नही दी गई फलस्वरूप प्रायः सभी योजनाओ के प्राक्कलन के लगभग बराबर नगद राशि तथा खाधान्न मद में भुगतान हो चूका था फिर भी योजनाएँ अपूर्ण रह गई।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन करते समय भी वर्त्तमान प्र0 वि0 पदा0 ने अपने स्तर से अपूर्ण योजानओ को पूर्ण कराने हेतु कोई कार्रवाई नही की गई जो एक गम्भीर आपत्ति का विषय है।

अतः परिशिष्ट ''ज्ञ'' पर उल्लेखित सभी योजनाओ को पूर्ण कराकर लम्बित अग्रिम का समायोजन हेतु प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(21) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी आधिनियम (नरेगा) के योजनाओं कार्यन्वयन हेतु अग्रिम भुगतान 10,72,500=00 रूपये असमायोजित है :—

वर्ष 2006—07 मे ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत आरभ्भ की दस योजनाओ को उप विकास आयुक्त वैशाली के द्वारा चयनित किया गया। जिसके अन्तर्गत योजना संख्या 1/2006—07,2/2006—07,3/2006—07 तथा 9/2006—07 के कतिपय नामित योजना अभिकर्त्ता की नन्दलाल राय प0 सचिव को 120,000=00 रूपये तथा सं0 10/2006—07 के अभिकर्त्ता श्री राजबली दास पंचायत सचिव को 52,500=000 रूपये का दो से चार किस्तो मे योजना कार्यान्वयन हेतु विभिन्न तिथियो मे भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''य'' पर अंकित है।

योजना अभिलेखो मे संलग्न कार्यादेश एवं एकरारनामे में स्पष्ट निदेश था कि योजना कार्य प्रारभ्भण के तीन माह की अवधि में पूर्ण करना है अन्यथा भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 406 एवं 421 के अनुसार एकरारनामे को रद्द करते हुए अभिकर्त्ता के उपर आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जायेगी।

किन्तु तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जो उस समय योजना कार्य प्रारम्भ कराने एवं समयावधि मे पूर्ण कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार थे अपने स्तर से व्यक्तीगत् ध्यान देकर कोई उचित एवं आवश्यक कार्यवाई नही किया। जिसके कारण सभी पाँचो योजनाओ के प्राक्कलन राशि का 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के पश्चात् भी योजनाएँ अपूर्ण रह गई।

अतः परिशिष्ट ''य'' पर अंकित नरेगा के अपूर्ण योजनाओ को यथाशीध्र पूर्ण कराने हेतु प्रशासी विभाग के उच्चधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा की गई कार्यवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय ।

(22) प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय स्वच्छता तथा पेय जल योजनान्तर्गत अग्रिम भुगतीत 3,77,500=00 रूपये असमायोजित :–

(क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के केश रेकर्डस/योजना पंजी तथा सहायक रोकड़ पंजी का जाँच/सत्यापन क्रम में पाया कि वर्ष 2001–02,2003–04 तथा 2004–05 एवं 2005–06 मे शुरू की गई सामान्य एवं अपग्रेडेशन कतिपय योजनाओ के लाभान्वितों को 2,56,000=00 रूपये का अंकेक्षण अवधि के पूर्व एवं अंकेक्षण अवधि के विभिन्न तिथियो मे किया गया, जिसका विस्तृत व्यौरा परिशिष्ट ''ल I'' पर उल्लेखित है। जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि सभी योजनाओ मे केवल अन्तिम किस्त की छोटी राशि के भुगतान नही होने के कारण कतिपय योजनाएँ अपूर्ण रह गई।

बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के आलोक मे सभी योजनाएँ अल्पावधि अर्थात् एक माह से दो माह के निर्धारित अवधि मे पूर्ण करना अनिवार्य था जो केश रेकर्डस मे सलग्न प्र0 वि0 पदा0 के कार्यादेश एवं एकरारनामे से स्वतः प्रमाणित होता है।

इस प्रकार परिशिष्ट ''ल I''पर उल्लेखित प्रायः सभी योजनाएँ काफी पुरानी है। जिसके अपूर्ण रह जाने के कारण सरकार के उदेश्य एवं निर्धारित लक्ष्य अधुरा/अपूर्ण रह गया तथा योजनान्तर्गत भुगतीत राशि 2,56,000=00 का सामंजन लंबित रहा।

(ख) पुनः वर्ष 2005–06 मे प्रधान मंत्री ग्रामोदय स्वच्छता एवं पेय जल के नौ योजनाए का कार्यान्वयन आरम्भ किया गया जिसके विरूद्ध कुल 1,21,500=00 रूपये का भुगतान श्री रत्नेश कुमार राजस्व कर्मचारी एवं श्री राजबली दास पंचायत सचिव को विभिन्न तिथियो मे किया गया जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट ''ल II'' पर उल्लेखित है।

बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शिका के अनुसार सभी योजनाएँ एक माह मे पूर्ण करना अनिवार्य था जिसकी पुष्टी योजना अभिलेख मे संलग्न कार्यादेश/एकरार नामे से होता है किन्तु सभी नौ योजनाएँ अपूर्ण रहने के कारण सरकार का लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति नही हुई। तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने अपने स्तर से कतिपय छोटी–छोटी योजनाओ को निर्धारित समयावधि मे पूर्ण कराने हेतु कोई विभागीय कार्यवाई नही की थी जो कार्य के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा का भाव को दर्शाता है।

निर्गत आपति का अनुपालन भी वर्त्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने संतोषप्रद ढंग से नही किया। अतः परिशिष्ट ''ल I'' एवं II पर उल्लेखित प्रधानमंत्री ग्रामदेय आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामदेय स्वच्छता एवं पेय जल योजनाओ के अन्तर्गत क्रमशः 2,56,000=00 रू0 तथा 1,21,500=00 रू0 कुल 3,77,500=00 रूपये भुगतान के योजना पूर्णा कराकर समायोजन हेतु विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(23) द्वादश वित्त आयोग योजना के कार्यन्वयन हेतु अग्रिम भुगतीत 2,55,500=00 रूपये असमायोजित :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के द्वादश वित्त आयोग के योजनान्तर्गत प्रारम्भण की गई पाँच कतिपय योजनाओ की जाँच/सत्यापन सम्बधित अभिलेख से करने पर पाया कि उक्त अवधि मे योजना सं0 1/2005–06 तथा 01/2006–07 और 02/2006–07 में योजना

आभिकर्त्ता श्री राजबली दास पंचायत सचिव तथा श्री राम चन्द्र राय पंचायत सचिव को क्रमशः 2,20,000=00 रूपये एवं 35,500=00 रू0 कुल, 2,55,500=00 रूपये का अग्रिम के रूप मे सम्बद्ध सहायक रोकड़ पंजी मे लेखांकित कर किया गया था। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''र''' पर अंकित है।

किन्तु कतिपय तीनो योजनाएँ निर्धारित समयावाधि मे पूर्ण नही किया गया जबकि कार्यदेश/एकरारनामे के अनुसार कार्य पूर्ण की अवधि तीन माह थी।

ज्ञातव्य हो कि योजना अभिलेख मे संलग्न कार्य मापीपुस्त के अनुसार कनीय अभियंता द्वारा मापी लेखा के अनुसार तत्कालीन प्रखण्ड पदाधिकारी ने अपने स्तर से अभिकर्त्ता को मास्टर रॉल/अभिश्रवो आदि को प्रस्तुत कराने हेतु नोटिश दिया गया था किन्तु अंकेक्षण समापन तिथि तक अभिकर्त्ता द्वारा मापी पुस्त के अनुसार कतिपय योजनाओ से सम्बद्ध मास्टर रॉल तथा अभिश्रवो के प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः परिशिष्ट ''श'' पर उल्लेखित कतिपय योजनाओ अपूर्ण योजनाओ को पूर्ण कराने हेतु विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तथा किये गये कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(24) इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत लभार्थियो को भुगतान की गई अग्रिम 1,26,64,700 रूपये असमायोजित :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के सामान्य इन्दिरा आवास योजना से सम्बधित केश रेकर्डस, योजना पंजी तथा सहायक रोकड़ पंजी से जॉच/सत्यापन के क्रम मे पाया कि उक्त दोनो वर्षो मे कार्यान्वयन हेतु प्रारभ्ण की गई अधिकांश योजनाएँ अद्दतन अपूर्ण पाई गई। कतिपय अपूर्ण योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु लभान्वितो को क्रमशः 34,27,700=00 रू0 तथा 9237,000=00 रूपये कुल 1,26,64,700=00 रूपये का भुगतान विभिन्न तिथियो मे किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ष'' पर उल्लेखित है।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2005–06 मे 308 योजनाएँ का कार्यान्वयन आरभ्भ हुआ जिसमे 182 योजनाएँ अंकेक्षण समापन तिथि तक अपूर्ण थी जिसपर 60 प्रतिशत से 99 प्रतिशत की राशि का भुगतान से चूका था। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 मे पुराने पैर्टन पर

88 योजानाए आरम्भ की गई जिसमे 51 योजनाएँ अधूरी पाई,गई पुनः बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग से दिशा निर्देश के अनुसार एक मुस्त प्रति योजना 24,000 का भुगतान करना था। तत्पश्चात् पुनः वर्ष 2006–07 मे 353 योजनाओ से सम्बधित लाभांवितो को 84,72,000=00 रूपये 24000=00 प्रति योजना की दर से एक मुस्त चेक द्वारा कतिपय बैको के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। उक्त 353 सभी योजनाएँ में शेष मे 1,000=00 रूपये मे 700=00 रूपये पी0 एच0 डी0 को उन्नत किस्म के चुल्हा के निर्माण हेतु भुगतान करना था तथा शेष 300=00 रू0 लभार्थियों को इन्दिरा आवास के निर्माण पूर्ण होने पर कर देना था।

इन्दिरा आवस योजनाएँ अल्पलागत एवं अल्पावधि की मॉडल योजना है जिसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो पक्का आवास निर्माण हेतु बनाई गई थी जिसे एक से दो माह की अवधि मे निर्माण कार्य पूर्ण करना था। निर्धारित समय पर क्षेत्रीय अधिकारी के देख–रेख निर्माण कार्य पूर्ण नही कराये जाने पर लाभान्वितों द्वारा एक मुस्त प्राप्त राशि का अन्यत्र मद मे व्यय कर दिये जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता साथ ही सरकार के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्धेश्य की प्राप्ती नही हो पाती। जो एक गम्भीर आपति का विषय है।

अतः परिशिष्ट ''स'' पर विस्तृत रूप से उल्लेखित सभी योजनाओ को यथा शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है साथ ही की गई कारवाई के प्रतिफल से वित्त(अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय ।

(25) प्रखण्ड अन्तर्गत सभी पंचायतो को प्राथमिक एवं मध्य वर्ग तक उपवांटित राशि 7,04,700=00 रू0 उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 मे छात्रवृति मद मे प्राप्त आंवटन की निकासी कर वर्ग 1 से 6 तक छात्र तथा छात्राओ को भुगतान हेतु 3,18,960=00 रू0 तथा 3,85,740=00रू0 कुल 7,04,700=00 रू0 का चेक द्वारा दिनांक 08.05.06 तथा दिनांक 01.02.07 का उप आंवटित कर दिया गया। जिसका पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट ''स'' पर अंकित है। उल्लेखनिय है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 29/दि0 16.05.06 तथा 01/01.02.

07 के द्वारा सभी बारह पंचायतों को छात्रवृति के वितरण के पश्चात् अभिश्रव सहित उपयोगित प्रमाण पत्र 15 दिनो मे भेजने का निर्देश दिया था। किन्तु अंकेक्षण को किसी भी पंचायत के उपयोगिता प्रमाण पत्र माँग करने पर जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण उपबांटित राशि के व्यय की औचित्यता की जाँच नही की जा सकी।

अतः विभागीय अधिकारी का ध्यान यथाशीध्र उपयोगिता प्रमाणपत्र अभिश्रव सहित माँगने हेतु आवश्यक एवं उचित कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है साथ की गई कार्यवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी सूचित किया जाय तब तक छात्रवृति मद मे कुल भुगतान 7,04,700=00 रूपये आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना